संख्याः 199/XXIV-3/13/02(66)2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनॉकः 01 मार्च, 2013

विषयः– **"Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage"** योजना के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर प्रशासनिक सेल में पदों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रा0मा0शि0अ0/448/**IEDSS**/2012–13 दिनांक 10 जनवरी 2013 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित **"Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage"** योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सृजित/स्वीकृत अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनबैण्ड तथा संख्या में दिनांक, 01 मार्च 2013 से दिनांकः 28 फरवरी 2014 तक यदि इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, निरन्तरता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान /ग्रेड पे	स्वीकृत अस्थाई पदों की संख्या
1	उप निदेशक	15600–39100+6600	01 (एक)
2	मनोवैज्ञानिक	आउट सोर्सिंग	01 (एक)
3	स्टैनोग्राफर	आउट सोर्सिंग	01(एक)
4	कनिष्ठ सहायक	आउट सोर्सिंग	01(एक)
5	विशेष शिक्षक	आउट सोर्सिंग	95 (पिचानवे)

2. उक्त तालिका के कमांक–01 पर सृजित होने वाले पद पर पदधारक को शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तें नियमानुसार देय होंगे। यह पद प्रतिनियुक्ति के के माध्यम से भरा जायेगा।

3. सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां सेवा नियमों एवं निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही करते हुये उक्त पद भरें जायेंगे।

5. योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के आलोक में न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

क्रमशः–2

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 02—माध्यमिक शिक्षा, 800—अन्य व्यय, 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं, 14 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा, 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 220(P) XXVII(3)2012—13, दिनांक 23 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 199/XXIV-3/13/02(66)2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3— निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
7— आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8— निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23—लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
9— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11— समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
12— वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13— कम्प्यूटर सेल, (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
14— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव